संख्या- 11 /2018/700/अडतीस-7-2018-441एलसी/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2018**

विषय- जनपदों में सूखे के समान स्थिति के दृष्टिगत समस्त जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत कम से कम एक कार्य अनिवार्य रूप से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे मनरेगा श्रमिक परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। अधिनियम आधारित इस योजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि मनरेगा श्रमिकों को उनकी मांग के अनुरूप कार्य प्रदान किया जाय।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय जनपदों में सूखे के समान स्थिति के दृष्टिगत अपने-अपने जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत कम से कम एक कार्य अनिवार्य रूप से चलना सुनिश्चित करायें एवं मांग के आधार पर यथावश्यक संख्या में कार्य क्रियाशील रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से संबंधित कार्य यथा- वनीकरण, वन संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, नर्सरी स्थापना एवं व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे परिवार जो जॉब कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक हो, उन्हें तत्काल जॉब कार्ड निर्गत किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 11 /2018/ 700(1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
2. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।